

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2017/01026

जयपुर, दिनांक 11.7 MAY 2018

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त राजस्थान।


विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ ने विभाग को अवगत कराया है कि कुछ जिलों में नये अनुबंध के अनुसार 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि नहीं की जा रही है। इस संबंध में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिक के संविदा अनुबंध दिनांक 27.06.2014 के अनुसार संविदा कार्मिक की सेवा संतोषजनक होने पर मानदेय वृद्धि दी जानी है।


अतः इस संबंध में संविदा कार्मिकों के विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्य का मुल्यांकन करके यदि कार्य का परिणाम संतोषजनक है तो संविदा अनुबंध बढ़ाने की कार्यवाही करते हुए मानदेय वृद्धि दी जानी है।

भवदीय


(शाहीन अली खान)

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस